

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक. प 7 (4)परि / नियम / मु / ॥ / १२००४

जयपुर, दिनांक ३०-०६-२०१५

अधिसूचना

यत् गोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं 59) की धारा 28, 38, 65 और 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015 का प्रारूप उससे सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा-प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाये, 15 दिवस के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 3 (ख) दिनांक 15.05.2015 को प्रकाशित किया गया था।

और यत् उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 15.05.2015 को उपलब्ध करा दी गयी थीं।

और यत् उक्त प्रारूप नियमों पर कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

*(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)*
अतः अब, गोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 28, 38, 65 और 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम घनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2.29 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान नियम, 1990, जिन्हे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2.29 की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिरथापित किया जायेगा, अर्थात्:-

३१

"सारणी

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रुपयों में)	नियम
1	2	3	4
1	नियम 2.5 के अधीन अपील के बारे में	500/-	2.6
2	चिकित्सक द्वारा प्रभावित किए जाने वाले चिकित्सा प्रमाण - पत्र के बारे में	15/-	2.7
3	प्रस्तुप 7 में अनुज्ञाप्ति की दूसरी प्रति के बारे में	200/-	2.9, 2.10, 2.13 और 13.1
4	ड्राईवर के बैज या बैज की दूसरी प्रति के बारे में	300/-	2.26, 13.1

3. नियम 3.17 का संशोधन।— उक्त नियमों के नियम 3.17 की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"सारणी

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रुपयों में)	नियम
1	2	3	4
1	नियम 3.8 के अधीन अपील के संबंध में	500/-	3.8
2	कण्डक्टर की अनुज्ञाप्ति की दूसरी प्रति के बारे में	300/-	3.11, 3. 12, 3.13 और 13.2
3	कण्डक्टर के बैज और बैज की दूसरी प्रति के बारे में	300/-	3.15 और 13.2
	कण्डक्टर की अनुज्ञाप्ति के प्रतिहस्ताक्षर के बारे में	200/-	3.16

4. नियम 4.28 का संशोधन।— उक्त नियमों के नियम 4.28 से संलग्न विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"सारणी

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रुपयों में)	नियम
1	2	3	4
1	प्रत्येक मास के लिए अरथाई रजिस्ट्रीकरण के लिए (क) परिवहन यान के लिए (ख) गैर-परिवहन यान के लिए	500/- 200/-	4.2
2	सभी प्रकार के यानों के लिये ठीक हालत में होने के प्रमाण-पत्र की मांजूरी या नवीकरण से इन्कार करने के गामले में पश्चात्वर्ती निरीक्षण के लिये	100/-	4.24
3	ठीक हालत में होने के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति के लिये	100/-	4.25

5. नियम 5.87 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 5.87 की विद्यमान सारणी के रथान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"सारणी"

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रुपयों में)	नियम
1	2	3	4
1	परमिट (अरथाई परमिट से भिन्न) की मंजूरी / नवीकरण / प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन के लिये (i) दो सीट वाले ऑटो रिक्शा (ii) शैक्षिक संरथा बस / मिनीबस / टैम्पो / विक्रम / ऑटो तांगा (iii) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी (क) अन्तर्राज्यीय परमिट के लिए (ख) अन्तर्राज्यीय परमिट से भिन्न (iv) गोटर-कैब / मैकरी कैब / पब्लिक कैरियर या प्राइवेट कैरियर	100/- 250/- 1500/- 750/- 300/-	5.5, 5.27 और 5.28
2	परमिट (अरथाई परमिट से भिन्न) की मंजूरी और नवीकरण के लिये (i) मिनी बस को छोड़कर मंजिली गाड़ी, पब्लिक कैरियर, प्राइवेट कैरियर, ठेका गाड़ी (ii) शैक्षिक संरथा बस / मिनी बस / मोटर कैब / मैकरी कैब (iii) ऑटो तांगा / ऑटोरिक्शा / विक्रम / टैम्पो	1500/- 1000/- 300/-	5.9 5.27 और 5.28
3	30 दिन या उसके भाग के लिये अरथाई परमिट या प्रतिहस्ताक्षर की मंजूरी के लिये ऐसे अरथाई परमिट के प्रतिहस्ताक्षर या उसके नवीकरण के लिये	200/-	5.5
4	(i) भारी परिवहन यानों के लिये (ii) मध्यम परिवहन यानों के लिये (iii) हल्के परिवहन यानों के लिये	1500/- 1000/- 500/-	5.28
5	विरासत या उत्तराधिकारी द्वारा अन्यथा परमिट के अन्तरण के लिये फीस (i) मंजिली गाड़ी (ii) गोटर कैब, मैकरी कैब, टैम्पो, विक्रम और ऑटो रिक्शा से भिन्न पब्लिक कैरियर और ठेका गाड़ी, (iii) ठेका गाड़ी (मिनी बस, टैम्पो, विक्रम, मोटर-कैब, मैकरी कैब) (iv) ऑटो रिक्शा और ऑटो तांगा	3000/- 1500/- 1000/- 500/-	5.36

अधिप्रमाणित

(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन अधिकारी

अधिप्रमाणित

(यूनुस खान)
मंत्री

मंत्री

6	(i) रा.प.अ.प्रा. में रा.प्र.प्रा. के आदेश के विरुद्ध अपील के लिये फीस (ii) प्रा.प्रा. के आदेश के विरुद्ध अपील के लिये फीस (iii) रा.प.प्रा./प्रा.प्र.प्रा. के आदेश के पुनरीक्षण के लिये फीस	500/- 500/- 500/-	5.44
7	परगिट की दूसरी प्रति के लिये फीस (I) भाग क-प्रत्येक प्रति (क) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी (i) विकृत/विरुपित के लिए (ii) खो जाने/चोरी हो जाने की दशा में (ख) मोटर कैब/मैक्सी कैब/टैम्पो/विक्रम/मिनी बस/ऑटो रिक्षा/ऑटो तांगा/पब्लिक कैरियर या प्राइवेट कैरियर	200/- 1000/- 200/-	5.38
	(II) भाग ख-प्रत्येक प्रति (क) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी (i) विकृत/विरुपित के लिये (ii) खो जाने/चोरी हो जाने की दशा में (ख) मोटर कैब/गैक्सी कैब/ऑटो रिक्षा/मिनी बस/टैम्पो/विक्रम/ऑटो-तांगा/पब्लिक कैरियर या प्राइवेट कैरियर	200/- 1000/- 200/-	
	(III) अरथाई परगिट-प्रत्येक प्रति (IV) प्राधिकार पत्र प्रत्येक प्रति	200/- 200/-	
8	अधिकर्ता की अनुज्ञाप्ति:- (i) आवेदन फीस (ii) अनुज्ञाप्ति की मंजूरी के लिये प्रत्येक अतिरिक्त संरथापन की अनुपूरक अनुज्ञाप्ति की मंजूरी के लिये (iii) यदि आवेदन समय के भीतर कर दिया गया है तो अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिये (क) मूल अनुज्ञाप्ति (ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञाप्ति के लिये (iv) यदि आवेदन विलाच से किया गया है तो अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिये (क) मूल अनुज्ञाप्ति (ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञाप्ति के लिये (v) दूसरी प्रति जारी करने के लिये (क) मूल अनुज्ञाप्ति (ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञाप्ति के लिए (vi) अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के लिये	5000/- 1000/- 1000/- प्रत्येक 1000/- 1000/- 1500/- 1500/- 1000/- 1000/- 500/-	5.73 (3) और 5.77 5.78 5.84 5.85

अधिकारी
 (हंस कुमार शर्मा)
 अपर परिवहन अधिकारी (नियम)

अधिकारी

(द्वारा दिलाई गई)
 मंत्री
 सार्वजनिक प्रभाव एवं परिवहन विभाग

		5.35 (3)
9	परमिट के रद्दकरण के लिये आवेदन फीस	100 / -
(i)	टुपहिया / ऑटो रिक्षा के लिए	250 / -
(ii)	गिनी बस / टैम्पो / विक्रम / ऑटो तांगा के लिये	
(iii)	मंजिली गाड़ी / ठेका गाड़ी के लिये	
(क)	अन्तर्राजियक परमिट के लिये	1000 / -
(ख)	अन्तर्राजियक से भिन्न परमिट के लिये	500 / --
(iv)	मोटर कैब / मैकर्सी कैब / पब्लिक कैरियर / प्राइवेट कैरियर	300 / -
10	किसी मंजिली गाड़ी की पहले से जारी समय सारणी में प्रत्येक संशोधन के लिये आवेदन फीस यदि परमिट-धारक द्वारा आवेदन किया जाये।	1000 / -
		5.39

अधिप्रभावित

अधिप्रभावित

राज्यपाल के आदेश से

२८
 (डॉ. मनीषा अरोड़ा)
 संयुक्त शासन सचिव (म.)

(हंस कुमार शर्मा)
 अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Government of Rajasthan
Transport Department

No. F 7(4)/Pari/Rules/H.Q./II/92/ 12004

Jaipur, Dated: 20-6-15

Notification

Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by section 28, 38, 65 and 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extra-ordinary part 3 (kh) dated 15.05.2015 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 15 days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15.05.2015.

And whereas, no objection & suggestion received on the said Draft Rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28, 38, 65 and 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 2.29.- The existing table of rule 2.29 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, here in after referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	In respect of appeal under rule 2.5	500/-	2.6
2.	In respect of medical certificate to be charged by the doctor	15/-	2.7
3.	In respect of duplicate licence In Form 7	200/-	2.9, 2.10, 2.13 and 13.1
4.	In respect of Driver's Badge or duplicate badge	300/-	2.26, 13.1

3. Amendment of rule 3.17.- The existing table of rule 3.17 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

“TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	In respect of appeal under rule 3.8	500/-	3.8
2.	In respect of duplicate conductor's licence	300/-	3.11, 3.12, 3.13 and 13.2
3.	In respect of Conductor's badge & duplicate badge	300/-	3.15 and 13.2
4.	In respect of counter signature of conductor's licence	200/-	3.16

4. Amendment of rule 4.28.- The existing table of rule 4.28 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

“TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	For temporary registration for each month (a) For Transport Vehicle (b) For Non-transport Vehicle	500/- 200/-	4.2
2.	For subsequent inspection in case of refusal of grant or renewal of fitness certificate for all types of vehicles	100/-	4.24
3.	For duplicate certificate of fitness	100/-	4.25

5. Amendment of rule 5.87.- The existing table of rule 5.87 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

“TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1	For application to grant/renewal/countersignature of permit (other than temporary permit) (i) Two seater Auto rickshaw (ii) Educational Institution Bus/ Mini bus/ Tempo /Vikram/ Auto tonga (iii) Stage Carriage, Contract Carriage:- (a) For interstatal permit (b) Other than interstatal permit (iv) Motor cab/ Maxi cab/Public Carrier or Private Carrier	100/- 250/- 1500/- 750/- 300/-	5.5, 5.27 and 5.28

31/12/2018

हंस कुमार शर्मा
निविजन आयुक्त (नियम)

29

2	For grant and renewal of a permit (other than temporary permit)		5.9, 5.27 and 5.28
	(i) Stage Carriage, Public carrier, Private Carrier, Contract Carriage excluding Mini bus	1500/-	
	(ii) Educational Institution Bus/ Minibus/ Motor cab/Maxi cab	1000/-	
	(iii) Auto Tonga/Auto Rickshaw/ Vikram/ Tempo	300/-	
3	For grant of Temporary permit or counter-signature for 30 days or part thereof	200/-	5.5
4	For Countersignature of a Non-temporary permit or its renewal		5.28
	(i) For heavy Transport Vehicles	1500/-	
	(ii) Medium Transport Vehicles	1000/-	
	(iii) Light Transport Vehicles	500/-	
5	Fee for transfer of permit otherwise than by inheritance or succession		5.36
	(i) Stage Carriage	3000/-	
	(ii) Public Carrier and Contract Carriages other than Motor cab, Maxi cab, Tempo, Vikram and Auto rickshaw	1500/-	
	(iii) Contract Carriage (Mini bus, Tempo, Vikram, Motor Cab, Maxi cab)	1000/-	
	(iv) Auto Rickshaw & Auto Tonga	500/-	
6	(i) Fee for appeal in STAT against the order of STA (ii) Fee for appeal against the order of RTA (iii) Fee for revision of order of STA/RTA	500/- 500/- 500/-	5.44
7	Fee for duplicate copy of a permit (I) Part A each copy (a) Stage carriage, Contract Carriage- (i) For mutilated/defaced (ii) In the case of lost/theft (b) Motor Cab/Maxi Cab/Tempo/ Vikram/ Mini bus/Auto Tonga/Auto Rickshaw/ Public Carrier or Private Carrier (II) Part B each copy- (a)Stage Carriage, Contract Carriage (i) For mutilated/defaced (ii) In the case of lost/theft (b) Motor Cab/Maxi Cab/ TempoVikram/ Mini Bus/ Auto Rickshaw/Auto Tonga/Public Carrier or private Carrier (III) Temporary permit each copy (IV) Authorization each copy	200/- 1000/- 200/- 200/- 1000/- 200/- 200/- 200/-	5.38
8	Agents Licence:- (i) Application fee (ii) For grant of Licence	5000/- 1000/-	5.73(3) and 5.77

31/01/2017

(हस्ताक्षर शमी)

26

	For grant of supplementary licence of each additional establishment (iii) For renewal of licence if the application is made in time (a) Principal licence (b) For each supplementary licence (iv) For renewal of licence if the application is made late (a) Principal licence (b) For each supplementary licence (v) For issue of duplicate copy of- (a) Principal licence (b) For each supplementary licence (vi) For appeal against the order of Licensing Authority	1000/-each 1000/- 1000/- 1500/- 1500/- 1000/- 1000/- 500/-	5.78 5.78 5.84 5.85
9	Application fee for the cancellation of permit (i) For Two Seater/Auto Rickshaw (ii) For Mini Bus/Tempo/Vikram/Auto-Tonga. (iii) For Stage Carriage/Contract Carriage (a) For interstatal permit (b) For Other than interstatal permit (iv) For Motor Cab/Maxi Cab/Public Carrier/ Private Carrier	100/- 250/- 1000/- 500/- 300/-	5.35(3)
10	Application fee for each amendment in already issued time table of a Stage Carriage vehicle, if applied by permit holder.	1000/-	5.39

By order of the Governor,

26
(Dr. Manisha Arora)
Jt. Secretary to the Government

विधायक मंत्री
(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिचयन ओचुक्त (नियम)

No. F 7(4)/Pari/Rules/H.Q./II/92/ 12005-18 Jaipur, Dated: 30-6-2015

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Superintendent, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 01-07-2015 and a copy thereof may be sent to this department.
2. P.S. to Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. S.A. to Hon'ble Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. P.S. to Hon'ble State Minister, Department of Transport, Rajasthan, Jaipur.
5. P.S. to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
6. P.S. to Transport Commissioner and Secretary to the Government of Rajasthan, Jaipur.
7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
8. Law (Codification) Department, Jaipur.
9. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
10. All Additional Transport Commissioner, Zone.
11. Shri Sanjay Singhal, A.C.P. for updating departmental website.
12. All Regional/Addl. Regional District Transport Officers.
13. All Officer In-charge Tax Collection Centers of Transport Department.
14. Guard file.

31/6/2015
हंस विजय शर्मा
अपर परियोग आयुक्त (नियम)

29
Jt. Secretary
to the Government